न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

विविध वाद सं0 08 / 2021–22

अपीलार्थी– हिलारियुस मिंज .... वगैरह।
बनाम
उत्तरवादी– इसाक लकड़ा ....

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
13-7-22		

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी (1) हिलारूस मिंज (2) तारसियुस मिंज दोनो के पिता स्व0 सुलेमान उरॉव निवास ग्राम – तेतरा पहाड़ टोली पोस्ट – कोनबीर, नवाटोली, थाना – बसिया, जिला – गुमला के द्वारा मौजा – तेतरा के खाता सं0 39, प्लॉट 2297, रकबा 1.24 एकड़ भूमि के संबंध में अपील दायर किया गया।

वादगत् भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
तेतरा	39	2297	1.24 एकड़

कुल रकबा 1.24 एकड़

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद को सुनवाई हेतु इस वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद में कहा गया है कि उक्त भूमि को गलत तरीके से उत्तरवादी के नाम दाखिल खारीज कर उत्तरवाद के नाम दर्ज किया गया है। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से लिखित बहसः–

अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए अपीलार्थी के द्वारा अपील किया गया है कि मौजा तेतरा, थाना सं0 143, थाना – बसिया, जिला – गुमला के खाता सं0 39 का कुल रकबा 23.58 डी0 भूमि है। इसी खाता का प्लॉट सं0 2297 रकबा – 1.24 डी0 संबधित जमीन को विवादित बताया जा रहा है जिसक खतियानी रैयत घांसी उरॉव वो बुकू उरॉव वो बीरा उरॉव वो टीकू उरॉव पेशरान सोमरा उरॉव कौम उरॉव साकीन देह टोला पहाड़ टोली ब हिस्सा बराबर के नाम से दर्ज है। जिसकी वंशावली इस प्रकार है :–

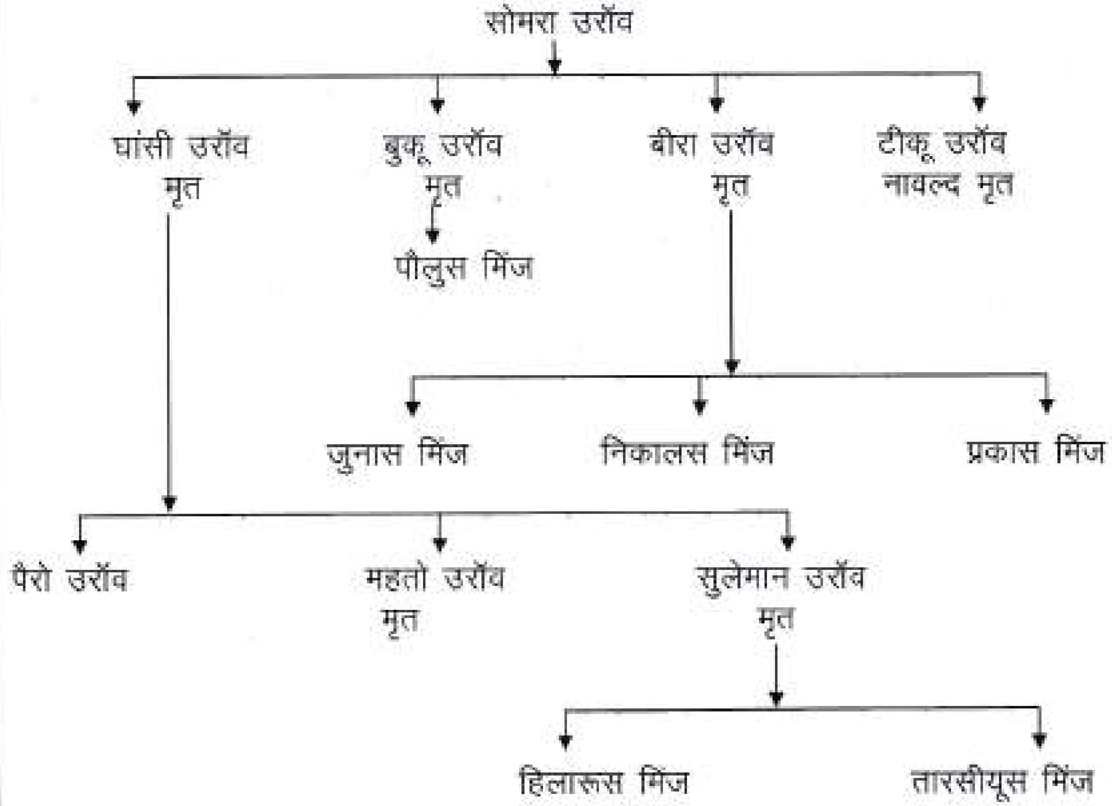

वादग्त भूमि आवेदक का खतियानी भूमि है जिस पर आवेदक के पूर्वज खेती बारी करते आ रहे हैं और घांसी उराँव वगैरह पिता सोमरा उराँव के नाम से रसीद कटता है। खाता सं0 39 कुल रकबा 23.58 डी0 भूमि को आवेदक एवं खतियानी रैयत के वंशजो या भयादो के बीच में बटवारा हो चुका है जो प्लॉट सं0 2297 रकबा 1.24 डी0 आवेदकगण के हिस्सा में पड़ता है। खतियान के कॉलम नं0 17 में बकब्जे घांसी उराँव दर्ज है जो आवेदकगण का दादा है। घांसी उराँव का उत्ताराधिकारी वंशज आवेदकगण है। खाता सं0 39, प्लॉट 2297, रकबा 1.24 डी0 खतियान का कुल रकबा 23.58 डी0 से घटा कर दिनांक – 13.08.2016 में रसीद निर्गत्त हुआ है उसमें 22.34 डी0 है। उसके पहले आवेदकगण को जानकारी नहीं हुआ था जबकि आवेदकगण एवं आवेदक के पूर्वज खाता सं0 39, प्लॉट 2297, रकबा 1.24 डी0 भूमि को बिकी नहीं किये है। खाता सं0 39 कुल रकबा 23.58 डी0 भूमि को वर्ष 2017 में अमीन के द्वारा नापी कराया गया, तब पता चला कि खाता सं0 39, प्लॉट 2297, रकबा 1.24 डी0 भूमि को विपक्षी नं0 1 दावा कर रहा है, जबकि उक्त भूमि में खेती बारी नहीं करते थे। जमीन परती मरचा रहता था, चारागाह में उपयोग होता था। कभी गोंदली का खेती कुछ अंश में करता था। वर्ष 2017 में विपक्षी नं0 1 मेशो परियोजना वित प्रदत से आम वृक्ष का पौधा लगाने के लिए उपरोक्त खाता सं0 39, प्लॉट 2297 में जे0सी0बी0 के द्वारा गढ़ा खोदा जा रहा था उस वक्त आवेदकगण माना किया गया कि यह जमीन आवेदकगण का खतियानी जमीन है लेकिन विपक्षी नहीं मान कर वृक्षारोपण कुछ अंश में कर दिया है। वादग्त भूमि से संबंधित आवेदकगण अंचल अधिकारी कार्यालय बसिया से छान–बीन किया गया तक जानकारी हुआ कि विपक्षी नं0 1 के पिता कोका लकड़ा के नाम से रसीद कट रहा है जो अवैध है। खाता सं0 39, प्लॉट 2297, रकबा 1.24 डी0 से संबंधित आवेदकगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध में न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला में दिनांक – 12.10.2017 में केस किया गया। विविध वाद सं0 28 / 2017 है जिसको न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया में भेजा गया है। विपक्षी

नं0 1 ने लिखित जबाब में लिखा है कि घांसी उरॉव की बहन गन्दोरी उराईन की शादी बिरसा उरॉव पिता – सोमरा उरॉव से 1939–40 ई0 में हुई है, जबकि घासी उरॉव का कोई बहन नहीं है। जहॉं तक गन्दोरी उराईन की बात है घांसी उरॉव की नातीन है। गन्दोरी उराईन के पिता महतो उरॉव है। महतो उरॉव का पिता खतियानी रैयत घासी उरॉव है। गन्दोरी उराईन की शादी स्टेफन लकड़ा, पिता – अनतोनी लकड़ा, ग्राम ममरला, बेरीटोली, थाना बसिया, जिला गुमला से हुआ है जिनका पुत्र जेम्स लकड़ा, दोमनिक लकड़ा, अगुस्टीन लकड़ा एवं पुत्री निर्माला लकड़ा है जो गन्दोरी उराईन (लकड़ा) एवं पति स्टेफन लकड़ा जीवित है। आवेदगण के पूर्वज वंशजो से एवं विपक्षी नं0 1 के पूर्वज वंशजो से या भयादो से अभी तक शादी विवाह का सम्बंध नहीं हुआ है तो कैसे कहा जा सकता है कि खतियानी रैयत चारो अपने बहन को मौखिक रूप से प्लॉट 2297, रकबा 1.24 डी0 भूमि को सदा के लिए दे दिए थे जो गलत है इसलिए हुजूर के न्यायालय से सत्यापित जॉंच कर लिया जाय। उपरोक्त भूमि को वादी के पूर्वजो द्वारा बिक्री नहीं किए है और आवेदकगण द्वारा भी बिक्री नहीं किये है लेकिन अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा कोका लकड़ा के नाम से रसीद निर्गत है जो गलत है।

श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारीज कोका लकड़ा पिता – बिरसा उरॉव के नाम से है खारिज कर आवेदगण के नाम से दाखिल खारिज करने का आदेश पारित किया जाय।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।
1 खतियान खाता सं0 39 की छाया प्रति।

उत्तरवादी की ओर से दाखिल लिखित जवाबः–

उत्तरवादी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं उक्त विविद् वाद में जवाब दाखिल किये है। मौजा– तेतरा, थाना बसिया, थाना नं. 143 जिला – गुमला के अंदर खाता नं. 39 के खतियानी रैयत घासी उरॉव वो बुकु उरांव वो बिरा उरांव वो टिकु उरॉव पेशरान सोमरा उरांव का नाम दर्ज है ।घासी उरॉव की बहन गन्दौरी उराईन की शादी बिरसा उरांव पिता सोमरा उरांव से वर्ष 1939–40 में शादी हुई थी इसलिए चारो रैयत ने बहन को मौखिक प्लाट नं0–2297 रकबा 1.24 ए0 टांड़ सदा के लिये दे दिए थे जो आज से करीब 80 वर्ष हो रहा है। जमीन खतियान के अनुसार बकब्जे घासी उरॉव दर्ज है । बिरसा उरांव अपने जीवन काल में दखलकार एवं खेती बारी करते रहा तथा उनके मृत्यु पश्चात् उनके पुत्रों का दखल जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार है तथा हर वर्ष खेती–बारी कर रहे हैं जिसका वंशवृक्ष इस प्रकार है।

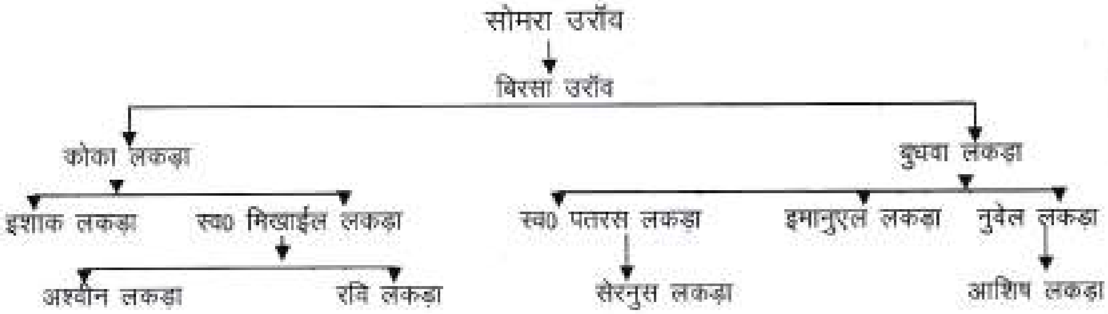

वादग्त भूमि रकबा 1.24 एकड़ मे कोका उरांव एवं बुधवा लकड़ा बंटवारा कर लिए है । इस वंशवृक्ष के आधार पर इशाक लकड़ा, पिता कोका लकड़ा, स्व0 मिखाईल पिता कोका लकड़ा के पुत्रों अश्वीन लकड़ा वो रवि लकड़ा, पिता स्व० मिखाईल लकड़ा को इस वाद में पार्टी नहीं बनाया गया है जो न्याय हित में नहीं है तथा बुधवा लकड़ा के पुत्र इमानुएल लकड़ा पिता स्व0 बुधवा लकड़ा एवं सैरनुस लकड़ा पिता स्व० पतरस लकड़ा और आशिष लकड़ा पिता स्व0 नुवेल लकड़ा को पार्टी नहीं बनाया गया है । इसाक लकड़ा, पिता स्व० कोका लकड़ा को पार्टी बनाया गया है इसलिए यह वाद को सही निर्णय के वास्ते अन्य हिस्सेदारो को भी पार्टी बनाना चाहिए। अंचल अधिकारी बसिया ने आवेदक के अवेदन पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया तब आवेदकगण तरसियुस मिंज वो हिलारूस मिंज ने एक विविध वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ आवेदन दिया जिसका विविध वाद संख्या – 28/17–18 हुआ । तत्पश्चात अंचल अधिकारी बसिया से जमाबंदी कायम के संबंध में रिपोर्ट मांग की गयी । अंचल बसिया के कर्मचारी द्वारा अंचल अधिकाकारी, बसिया को रिपोर्ट सौंपा जिसके अनुसार खाता नं0–39 प्लॉट नं० – 2297, रकबा 1.24 ए० का जमाबन्दी कोका लकड़ा वो बुधवा लकड़ा के नाम से चल रही है । अपने मन्तव्य में यह भी कहा है कि जब तक सक्षम न्यायालय का आदेश पारित नहीं होता है तो जमाबन्दी में किसी प्रकार का हेर–फेर नहीं किया जा सकता है । विपक्षियों के उत्तराधिकारियों के द्वारा कोका लकड़ा वो बुधवा लकड़ा के नाम से वर्ष 1974–75 से अबतक मालगुजारी रसीद कट रहा है। वादग्त भूमि में विपक्षियों के द्वारा अबतक शांतिपूर्वक दखलकार है। दखल के संबंध में बिरसा उरॉव से लेकर अबतक किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है। विपक्षियों का एडवर्स पोजिशन है। आवेदकगण के द्वारा आवेदन में जो कुर्सीनामा दिखाया गया है उस कुर्सीनामा के आधार पर सभी वारिसानों का पार्टी बनाना आवश्क है इस तरह उनका आवेदन ही गलत है।

श्रीमान् से अनुरोध है कि जो जमाबंदी कायम है उसे बरकरार रखा जाय और त्रृटिपूर्ण आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय। उनका आवेदन काल बाधित है।

उत्तरवादी की ओर से दाखिल कागजातः–

(1) लगान रसीद की छाया प्रति।

(3) खतियान की छायाप्रति।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों एवं अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के दाखिल दस्तावेज लिखित जवाब, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मौजा मौजा – तेतरा के खाता सं0 39, प्लॉट 2297, रकबा 1.24 एकड़ भूमि से संबंधित है। खतियान में घांसी उरॉव वो वुकु उरॉव वो बीरा उरॉव वो टीकु उरॉव पेशरान सोमरा उरॉव कौम उरॉव शाकीनदेह टोला, पहाड़टोली के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, बसिया के जांच प्रतिवेदन में खाता सं0 39 प्लॉट सं0 2297 रकबा 1.24 ए0 भूमि वर्तमान पंजी II रैयत कोका लकड़ा, पिता–बिरसा लकड़ा के वंशज के द्वारा खरीदगी केवाला पट्टा द्वारा प्राप्त कर लगान रसीद प्राप्त कर रहे है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल विविद वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के प्रति अंचल अधिकारी, बसिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2023.12.04 14:02:08 +05:30
Location: 192.168.0.25

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया(गुमला)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया(गुमला)।